धारा 115 : अपील को ग्रहण करने के लिए संदत्त रकम के प्रतिदाय पर ब्याज

जहां अपीलार्थी द्वारा धारा 107 की उपधारा (6) या धारा 112 की उपधारा (8) के अधीन संदत्त रकम का, अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण के किसी आदेश के परिणामस्वरूप प्रतिदाय किया जाना अपेक्षित है, वहां धारा 56 के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज ऐसे प्रतिदाय के संबंध में रकम के संदाय की तारीख से ऐसी रकम के प्रतिदाय की तारीख तक संदेय होगा।